सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 29, बुधवार, *शाके* 1947- अगस्त 20, 2025	
Sravana 29, Wednesday, Saka 1947- August 20, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 13, 2025

संख्या प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75/ पार्ट :- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961का अधिनियम संख्या 38) की धारा 17 ख के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन गठित मण्डी यार्ड और उप मण्डी यार्ड में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा लाई गई या क्रीत या विक्रीत, गैर-अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य उत्पादों पर मण्डी समितियों द्वारा उद्ग्रहणीय यूजर यार्ज (उपयोक्ता प्रभार) की दर एतद् द्वारा प्रति एक सौ रूपये पर 0.50 पैसे (पचास पैसे) मात्र विनिर्दिष्ट करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अशोक कुमार मीना,
शासन उप सचिव।

8540

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।